भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
श्री गंगानगर हाईवे, बीछवाल, बीकानेर - 334006
दूरभाष:0151-2250960 एवं 0151-2253123

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के संस्थान में नाबार्ड परियोजना के अन्तर्गत खेजड़ी किस्म 'थार शोभा' एवं 'थार अमृता' के 25000 कलिकायन वाले पौधे तैयार करने के लिए हेतु आउटसोसिंग के लिये वार्षिक अनुबंध से सम्बधित कार्य को सीमित अनुबंध के आधार पर सम्पन्न करवाने हेतु संस्थान कार्यालय में दिनांक 24.11.2022 से 05.12.2022 शाम 5.00 बजे तक सीमित निविदा आमंत्रित की जायेगी एंव दिनांक 06.12.2022 को दोपहर 2.30 बजे सीमिति निविदा खोली जायेगी। इच्छुक निविदाकर्ता के पास जीएसटी नम्बर व आधार नम्बर होना आवश्यक है। इस संबंध में विस्तृत नियम एवं शर्ते संस्थान की वैब साईट ciah.icar.gov.in पर उपलब्ध है।

-sd-
प्रशासनिक अधिकारी

भाकृअनुप–केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
बीकानेर

खुली निविदा कोटेशन

सेवामें,

श्रीमान निदेशक
भाकृअनुप–केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
बीकानेर334006 (राजस्थान)

विषयः संस्थान में नाबार्ड परियोजना के अन्तर्गत खेजड़ी किस्म 'थार शोभा' एवं 'थार अमृता' के 25000 कलिकायन वाले पौधे तैयार करने के लिए

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बध में सूचित किया जाता है कि संस्थान में नाबार्ड परियोजना के अन्तर्गत खेजड़ी किस्म 'थार शोभा' एवं 'थार अमृता' के 25000 (पच्चीस हजार)कलिकायन वाले पौधे तैयार करने के लिए।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दर प्रति सफल पौधा सभी करों सहित
1	मीडिया तैयार करना, पॉलीबैग भरना, पॉलीबैग को नर्सरी क्यारियों में स्थानांतरित करना, बीज उपचार, पॉलीबैग में बीज बोना, अंकुरण के बाद मूलवृंत कलिकायन के लायक होने तक की देखभाल, कलिकायन करना, कलिकायित पौधों के विक्रय योग्य होने तक देखभाल करना।	

तकनीकी नियम व शर्तें

1. परियोजना 'एफएसपीएफ'–खेजड़ी की गुणवत्ता रोपण सामग्री का उत्पादन' के अंतर्गत गतिविधियों का संचालन आईसीएआर–सीआईएएच, बीकानेर के फार्म परिसर के नर्सरी और संतति ब्लॉक क्षेत्र में किया जाएगा। संस्थान द्वारा इस कार्य में काम आने वाली लागत सामग्री जैसे भराव सामग्री (गोबर खाद, मिट्टी, गाद), कृषि रसायन, पॉलीबैग, बीज, सिंचाई का पानी, कलिका, पॉलीस्ट्रिप्स और अन्य आवश्यक सामग्री संस्थान द्वारा साईअ पर उपलब्ध करायी जाएगी।
2. अनुबंधकर्ता परियोजना के प्रभारियों द्वारा आवंटित स्थान पर भरे हुए पॉलीबैग व्यवस्थित और उचित ढंग से निर्धारित समय के भीतर रखेगा।
3. सभी गतिविधि निर्धारित समय–सारणी अर्थात पॉलीबैग भरना (जनवरी–फरवरी), बीज बुवाई (फरवरी–मार्च), पुनः बुवाई, अंतर–सस्य गतिविधि संचालन, देखभाल–रखरखाव (मार्च–मई), कलिकायन (जून –सितंबर) और अगस्त से पौध देने आरंभ करते हुए अक्टूबर तक पूरी की जानी चाहिए।
4. सभी नर्सरी पौधों को उगाने और रख–रखाव के तरीके जैसे पॉलीबैग व्यवस्थित करना, सिंचाई, निराई, गुड़ाई, छिड़काव, नवांकुर को हटाना एवं संबंधित कार्य और उपकरण (कुदाल, कलिकायन के उपयोग में आने वाले चाकू, सेकेटर, आदि) का प्रबंधन स्वयं अनुबंधकर्ता के द्वारा ही किया जाएगा।
5. जब तक सफल पौधों की गिनती पूरी नहीं हो जाती, तब तक खेजड़ी के कलिकायित पौधों की देखभाल, प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अनुबंधकर्ता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

6. भुगतान निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार जारी किया जाएगा–:

अ.	अनुबंध की शर्तों के अनुसार पॉलीबैग को उचित रूप से भरने, बीज बोने, अंकुरण और मूलवृंत के अपेक्षित ऊंचाई (15–20 सेमी) प्राप्त करने सहित कार्य के पूर्ण होने पर भुगतान की प्रथम किश्त जारी की जाएगी।	30 प्रतिशत
ब.	शेष भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार सफल कलिकायित पौधों की अंतिम गणना (सांकुर वृद्धि के 3–4 नोड्स) के बाद जारी किया जाएगा।	70 प्रतिशत

7. पौधों का उपलब्ध सम्पूर्ण स्टॉक (बनाए गये/कलिकायित पौधे सहित) आईसीएआर–सीआईएएच, बीकानेर की संपत्ति होगा।

8. नवोदित पौधों को सौंपने से पहले हुए किसी भी नुकसान (प्राकृतिक, मानव या पशु द्वारा) के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।

9. निविदा औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने के बाद, अनुबंधकर्ता द्वारा 15 दिनों के भीतर काम शुरू किया जाना होगा और शर्त संख्या 3 और 6 की पूर्ति के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

10. इस संस्थान के सक्षम प्राधिकारी को नियम और शर्त तथा अनुबंधकर्ता के कार्य प्रदर्शन के आधार पर कार्य जारी रखने या समाप्त करने का तथा निर्धारित अवधि के अंतर्गत पौधों के बहुलीकरण की संख्या को कम व अधिक बढ़ाने का अधिकार है।

11. कार्य निर्धारित अवधि में पूरा न कर पाने की स्थिति में कुल अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत का अर्थदण्ड (पेनल्टी) के रूप में तथा भविष्य में संस्थान के किसी भी कार्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस अनुबंध के संबंधित विवाद होने पर परिषद द्वारा नियुक्त पंच को मामला भेजा जायेगा। पंच के निर्णय को मानने के लिए दोनो पक्ष बाध्य होंगे।

12. कार्य का भुगतान शर्त संख्या 6 के अनुसार कार्य पूर्ण होने पर प्रभारी नर्सरी के प्रमाणीकरण के अनुसार बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर 30 दिन के भीतर नियमानुसार कर दिया जायेगा। बिल पर आयकर विभाग से आवंटित पेन संख्या अंकित व फोटो प्रति प्रस्तत की जानी आवश्यक है। ई-भुगतान के लिये निम्नांकित विवरण अनिवार्य है। **श्रमिक को भुगतान संस्थान के अधिकारी के सामने किया जायेगा।**

Certified that	
1.	**Banker name & full address**
2.	**Bank Code**
3.	**Computerized complete account number**
4.	**Telephone & Fax No. of the Banker**
5.	**IFSC/RTGS/NEFT Code No. of the Bank**
6.	**PAN No.**
7.	**AADHAR No.**
8.	**Signature & Seal of the Agency**

13. अनुबंध की अवधि में स्वयं अनुबंधकर्ता व उनके कर्मचारियों के द्वारा संस्थान के अधिकारियों से शिष्टापूर्ण व्यवहार करना होगा एवं कार्य के दौरान अनुबंधकर्ता व उनके कर्मचारियों के द्वारा संस्थान की सम्पति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी वसूली अनुबंधकर्ता के द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर बिल से की जावेगी।

14. निविदादाता को भुगतान से संबंधित मैनपावर कानूनों का पूर्णतया पालन करना होगा। उनके द्वारा लगाये जाने वाले मैनपावर के भुगतान की संपुर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबंधकर्ता की होगी। Minimum wages, as prescribed by the Government of India from time to time should be payable to the personnel deployed by the Contractor for service to the office. No request for alternative/increase in the total cost once quoted by the Contractor /Agency should be permitted by ICAR-CIAH during the course Contract and incase of increase of Wages by Govt. of India and the agency should be wholly responsible to make payment to deployed

personnel from their own resources. भुगतान से सम्बंधित कोई भी विवाद होने क्लेम प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान अनुबंधकर्ता द्वारा किया जावेगा ।

15. फर्म को कार्य का भुगतान शर्त संख्या 6 के अनुसार 2 भागों में परियोजना प्रभारी के प्रमाणीकरण के अनुसार होगा जो किसी भी स्थिति में कुल सफल पौधों के लिए अनुमोदित राशि से अधिक नहीं होगा।

17. कार्यावधि के दौरान यदि किसी कार्मिक के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटती है तो लेबर कॉन्ट्रेक्ट रेगुलेशन एक्ट के अनुसार अनुबंधकर्ता/एजेन्सी ही जिम्मेदार होगी।

18. व्यवसाय कर, जीसटी सहित अन्य सभी करों इत्यादि के सम्बधित विभाग को भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी एवं संस्थान अलग से कोई भुगतान नही करेगा।

19. अनुबंधकर्ता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्धारित राशि के नोन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध विलेख के साथ रु. 10000.00 (रुपये दस हजार मात्र) का डीडी **ICAR Unit CIAH, Bikaner** के नाम बनवाकर देना होगा।

अनुबंधकर्ता /फर्म के हस्ताक्षर
नाम व पता
मोबाईल न.
ई–मेल